Rule 2: Adaptation of Central Goods and Services Tax Rules, 2017

- (1) The Central Goods and Services Tax Rules, 2017 shall, mutatis mutandis, apply, subject to the following modifications, namely:-
 - (a) in rule 1,-
 - (i) for the words and figures "Central Goods and Services Tax Rules, 2017", the words and figures, "Goods and Services Tax Compensation Cess Rules, 2017" shall be substituted;
 - **(b)** rules 3 to 7 shall be omitted;
 - (c) rules 117 to 120 shall be omitted.

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) नियम, 2017

नियम 2 : माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 का अनुकूलन

- (1) माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होगा बशर्तें कि निम्नलिखित परिवर्तन लागू होंगे, यथा:-
 - **(क)** नियम 1 में,—
 - (i) शब्द और अंक ''केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर नियमावली, 2017'' के स्थान पर ''माल एवं सेवाकर प्रतिपूर्ति उपकर, नियमावली, 2017'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ख) नियम 3 से 7 को निरसित कर दिया जाएगा।
 - (ग) नियम 117 से 120 को निरसित कर दिया जाएगा।